न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 152/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
देवीलाल उर्फ फतेहलाल पुत्र आईदान जाति केला माहेश्वरी निवासी ग्राम तेना तहसील शेरगढ हाल गांव तिंवरी तहसील तिंवरी जिला जोधपुर		1– राधेश्याम पुत्र श्रीराम जाति केला माहेश्वरी निवासी गांव तेना हाल गांव खुडियाला तहसील बालेसर जिला जोधपुर 2– महेश पुत्र हरिकिशन 3– पंकज पुत्र हरिकिशन जाति माहेश्वरी निवासीगण गांव तिवरी तहसील तिवरी जिला जोधपुर 4– रामस्वरूप पुत्र मघराज जाति केला माहेश्वरी निवासी गांव तेना तहसील शेरगढ जिला जोधपुर 5– अशोक पुत्र मघराज जाति केला माहेश्वरी 6– मनीषा पत्नी अशोक जाति केला माहेश्वरी निवासीगण गांव तेना, तहसील शेरगढ जिला जोधपुर 7– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शेरगढ जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 20–12–2013 जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा प्रकरण संख्या 118/2013 अनवान अशोक कुमार बनाम राजस्थान सरकार मे पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री ओ.पी.बूब, भरत बूब अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री ओमप्रकाश विश्नोई अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 3 की ओर से ।
3– श्री गुलाब सिह चंपावत अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 5 की ओर से ।
4– शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 6–12–2017

वर्तमान अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 5 अशोक कुमार पुत्र स्व0 मगराज ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का पेश कर कथन किया कि ग्राम तेना पटवार मण्डल तेना के खेत खसरा नंबर 1126 रकबा 4.02 बीघा, खसरा नंबर 1137 रकबा 33.07 बीघा, खसरा नंबर 1138 रकबा 1.09 बीघा कुल 3 खसरान का 38.18 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2066–2069 मे प्रार्थी का खाता संख्या 277 पर देवीलाल पुत्र आज्ञाराम का नाम राजस्व कर्मचारियो से पेन मिस्टेक से गलत दर्ज हो गया है तथा यह भी उल्लेख किया कि आज्ञाराम उर्फ मगराज का देहांत दिनांक 19–1–2010 को हो गया । प्रार्थी जब केसीसी के लिए आवेदन करने गया तो जमाबंदी की नकल प्राप्त होने पर जानकारी हुई कि प्रार्थी का नाम अशोक कुमार पुत्र मगराज के स्थान पर देवीलाल पुत्र आज्ञाराम दर्ज हो गया है । रेस्पो0 संख्या

5 अशोक कुमार ने अधीनस्थ न्यायालय से उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये अशोक कुमार पुत्र मगराज महाजन (केला) शुद्धिकरण कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–12–2013 के जरिये उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थी अशोक कुमार पुत्र मगराज का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उक्त अपीलाधीन भूमि मे प्रार्थी का नाम पुनः राजस्व रेकर्ड मे अशोक कुमार पुत्र मगराज दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया गया । जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील देवीलाल उर्फ फतेहलाल पुत्र आईदान जाति माहेश्वरी ने अपील पेश करने की अनुमति के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । रेस्पो0 अधिवक्ता ने अपनी ओर से लिखित बहस पेश की, जिसकी प्रति अपीलांट अधिवक्ता को दी जाकर शामिल पत्रावली की गई । अपीलांट अधिवक्ता ने सर्वप्रथम कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय से अपीलांट प्रभावित पक्षकार है जिसे अधीनस्थ न्यायालय मे पक्षकार बनाये बिना अपील पेश कर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया इसलिए अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 5 अशोककुमार पुत्र स्व0 मगराज जाति महाजन ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ के समक्ष जो धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसमे सहखातेदारो को पक्षकार नही बनाया, केवल तहसीलदार शेरगढ को ही पक्षकार बनाकर पेश किया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी इस बिन्दु पर गौर किये बिना तथा राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किये बिना रेस्पो0 संख्या 5 अशोक कुमार को देवीलाल मानेत हुए अपीलांट की भूमि को उसे नाम दर्ज किये जाने का जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह गलत, गैर कानूनी एवं विधि विरूद्ध होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि ग्राम तेना तहसील शेरगढ के खसरा नंबर 1136 रकबा 33 बीघा 7 बिस्वा भूमि, खसरा नंबर 1126 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा भूमि एवं खसरा नंबर 1138 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा कुल 38 बीघा 18 बिस्वा भूमि बाबूसिह एवं दलपतसिह पुत्रान जोधसिह जाति राजपूत निवासी तेना के खातेदारी की कृषि भूमि थी । इस भूमि को बाबूसिह आदि ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 29–12–1973 को राधेश्याम पुत्र श्रीराम, हरिकिशन पुत्र प्रेमराज, देवीलाल पुत्र आईदान एवं रामस्वरूप पुत्र मघराज समस्त जातियान महाजन निवासीगण तेना को कर दिये जाने पर बेचान के आधार पर नामांतरकरण भी उक्त क्रेताओ के नाम स्वीकृत हो गया तथा राजस्व रिकार्ड मे क्रेताओ के नाम बहैसियत खातेदार दर्ज हो चुके थे ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि उक्त बेचानसुदा भूमि मे से राधेश्याम की भूमि के संबंध मे कोई विवाद नही है परंतु हरिकिशन को बेचानसुदा भूमि लंबे समय तक हरिकिशन पुत्र प्रेमराज के नाम दर्ज होती रही तत्पश्चात राजस्व अभिलेख के संधारण

के समय राजस्व कर्मचारियो की त्रुटि से हरिकिशन के स्थान पर श्रीकिशन पुत्र प्रेमराज दर्ज हो गई तथा उसके पश्चात रेस्पो0 संख्या 4 व 5 ने कपटपूर्ण तरीके से राजस्व रेकर्ड मे श्रीकिशन पुत्र प्रेमराज के स्थान पर श्रीकिशन पुत्र मगराज दर्ज करवा दिया तथा श्रीकिशन जिसका मूल नाम हरिकिशन है, उसके पश्चात हरिकिशन का देहांत दिनांक 12–10–2004 को हो चुका है तथा उसके वारिसान मे उनके पुत्र रेस्पो0 संख्या 2 व 3 उक्त भूमि पर बहैसियत खातेदार काबिज चले आ रहे है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन भूमि के केता देवीलाल पुत्र आईदान जाति माहेश्वरी का नाम राजस्व रेकर्ड मे लंबी अवधि तक दर्ज रहा परंतु केता देवीलाल के पिता का नाम आईदान के स्थान पर गलती से आज्ञाराम दर्ज कर दिया गया जबकि मूल खातेदार देवीलाल पुत्र आईदान आज भी जीवित है परंतु रेस्पो0 संख्या 5 ने कपटपूर्ण तरीके से अपने आज को देवीलाल पुत्र आज्ञाराम बताकर देवीलाल पुत्र आईदान की उक्त खरीदसुदा भूमि को अपने नाम करवाने हेतु एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवन्यु एक्ट का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि राजस्व कर्मचारियो की त्रुटि से देवीलाल पुत्र आज्ञाराम दर्ज हो गया, जो गलत है जबकि आज्ञाराम उर्फ मघराज का देहांत दिनांक 19–1–2010 को हो गया है इसलिए रेस्पो0 संख्या 5 अशोक कुमार मघराज के स्थान पर अपीलांट का नाम दर्ज हो गया है जो राजस्व कर्मचारियो की गलती से हुआ है इसलिए देवीलाल पुत्र आज्ञाराम के स्थान पर रेस्पो0 संख्या 5 का नाम दर्ज किया जाये। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी जांच के एवं राजस्व रेकर्ड के अवलोकन किये बिना रेस्पो0 संख्या 5 को देवीलाल मानते हुए अपीलांट की भूमि को उसके नाम दर्ज किये जाने के आदेश उनके समक्ष प्रस्तुत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर पारित कर दिया तथा अपीलाधीन आदेश के द्वारा राजस्व अभिलेखो मे अपीलांट के नाम को हटाकर रेस्पो0 संख्या 5 का नाम दर्ज कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अशोक कुमार ने अपने आप को उर्फ देवीलाल होना बताया है एवं देवीलाल ने अपने नाम से दिनांक 29–12–1973 को उपरोक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के क्रय किया है जबकि उक्त क्रय के दिन तथाकथित अशोक कुमार उर्फ देवीलाल का जन्म ही नही हुआ था इसलिए अशोककुमार उर्फ देवीलाल के नाम से उपरोक्त भूमि रेस्पो0 संख्या 5 द्वारा क्रय करने की कोई स्थिति ही नही थी इसलिए रेस्पो0 संख्या 5 द्वारा दिनांक 29–12–73 को अपने द्वारा जो यह भूमि क्रय करना बताया है तथा अपने नाम को अशोक कुमार उर्फ देवीलाल के नाम दर्ज होना बताया है, वह कथन सर्वथा गलत, झूंठा व बेबुनियाद है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि राजस्व अभिलेख मे अपीलांट देवीलाल के पिता का नाम आईदान के स्थान पर आज्ञाराम बिना राजस्व रेकर्ड की जांच किये दर्ज किया जाना ही गलत था, इसके अलावा वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई सबूत रेकर्ड पर उपलब्ध नही था जिससे यह माना जा सके कि आज्ञाराम एवं मघराज एक ही व्यक्ति है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने

बिना कोई जांच किये अपीलांट के नाम दर्ज भूमि को रेस्पो0 संख्या 5 के नाम दर्ज करने बाबत पारित आदेश निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–12–2013 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 5 की ओर से अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस मे उल्लेख किया कि अपीलाधीन भूमि ग्राम तेना तहसील शेरगढ के खसरा नंबर 1136 न होकर खसरा नंबर 1137 रकबा 33 बीघा 07 बीघा, खसरा नंबर 1126 रकबा 4 बीघा 02 बिस्वा एवं खसरा नंबर 1138 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा कुल रकबा 38 बीघा 18 बिस्वा भूमि बाबूसिह व दलपतसिह पि0 जोधसिह के खातेदारी की कृषि भूमि थी जिसका बेचान खातेदार बाबूसिह द्वारा दिनांक 29–12–73 को चार पृथक–पृथक पंजीकृत बेचान दस्तावेजो के जरिये कमशः राधेश्याम पुत्र श्रीराम, हरिकिशन पुत्र प्रेमराज, देवीलाल पुत्र आईदान एवं रामस्वरूप पुत्र मघराज जातियान महाजन निवासीगण तेना के पक्ष मे निष्पादित किया तथा उक्त पंजीकृत बेचान दस्तावेज के आधार पर दिनांक 10–8–75 को उक्त भूमि का नामांतरकरण केतागणो के नाम स्वीकृत होकर अपीलाधीन भूमि केताओ के नाम बतौर खातेदार के दर्ज हुई ।

वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि केता राधेश्याम के हिस्से की 6 बीघा 9 बिस्वा भूमि उसके खाते मे ही दर्ज है परंतु उक्त भूमि पर राधेश्याम का कब्जा वर्ष 1976 से नही रहा बल्कि वर्ष 1976 से उक्त भूमि पर रेस्पो0 संख्या 4 व रेस्पो0 संख्या 5 के पिता स्व0 मगराजजी का कब्जा काश्त रहा तथा उक्त भूमि पर रेस्पो0 संख्या 4 व 5 तथा इनके पिता का ट्यूब वेल खुदा हुआ है तथा उक्त ट्यूबवेल पर रेस्पो0 संख्या 4 रामस्वरूप के नाम का विद्युत कनेक्शन ले रखा है तथा उक्त सम्पूर्ण 38.18 बीघा भूमि पर रेस्पो0 संख्या 4 व 5 द्वारा खेती कर सरसो, गेहूँ एवं जीरा की फसल उगाई जा रही है तथा पत्थर रोपकर कांटे के तारों की तारबंदी कर रखी है ।

वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि वर्ष 1976 मे हरीकिशन ने बंटवाडे मे रेस्पो0 संख्या 4 व 5 के भाई श्री किशन पुत्र मगराज उर्फ आज्ञाराम को बंट मे दे दी थी तथा वर्ष 1976 से उक्त भूमि पर श्रीकिशन जीवित रहा, तब तक उनका कब्जा रहा तथा उसकी मृत्यु के बाद उसके पिता मगराज जी का कब्जा रहा तथा मगराजजी की मृत्यु के बादरेस्पो0 संख्या 4 व 5 का कब्जा काश्त रहा जो आज दिन तक है ।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि हरिकिशन ने अपनी जीवित अवस्था मे हक व कब्जे के आधार पर श्रीकिशन का नाम खातेदारी मे दर्ज करवा दिया था परंतु श्रीकिशन के पिता का नाम मगराज या आज्ञाराम न लिखकर प्रेमाराम लिख दिया था । श्रीकिशन के पिता का नाम गलत दर्ज होने के कारण रेस्पे0 के पिता का नाम मगराज जी ने वर्ष 2006 मे लगभग 30 वर्ष बाद रेवेन्यु रेकर्ड मे शुद्धिकरण करवा कर श्रीकिशन के पिता का नाम प्रेमाराम की जगह मगराज करवा दिया परंतु उक्त रेवेन्यु रेकर्ड इन्द्राज के संबंध ने अपीलांट ने वर्ष 1976 से आज तक शुद्धिकरण संबंधी कोई कानूनी कार्यवाही नही की है तथा वर्ष2006 के शुद्धिकरण बाबत सक्षम न्यायालय मे कोई चाराजोही नही

की तथा यह भी कथन किया कि अपीलांट स्वयं एग्रीवड पक्षकार नही है इसलिए राजस्व रेकर्ड के संबंध मे कोई उजर करने का वह कानूनी अधिकारी नही है ।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 5 ने रेवेन्यु रेकर्ड मे गलत इन्द्राज के शुद्धिकरण बाबत प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी शेरगढ के न्यायालय मे पेश किया था तथा अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 संख्या 5 द्वारा पेश किये गये दस्तावेजो के आधार पर अपीलाधीन निर्णय मे यह माना है कि देवीलाल उर्फ अशोक कुमार पुत्र मगराज उर्फ आज्ञाराम नाम का एक ही व्यक्ति है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने देवीलाल का नाम अशोक कुमार तथा पिता का नाम मगराज संशोधन करवाकर रेकर्ड मे दर्ज करवा दिया ।

वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि मगराज उर्फ आज्ञाराम का देहांत दिनांक 19–1–2010 को हो गया यह बात सही है लेकिन इनकी मृत्यु के बाद रेस्पो0 संख्या 5 अशोक कुमार पुत्र मगराज के स्थान पर अपीलांट का नाम दर्ज हो गया, यह बात गलत है । मगराज उर्फ आज्ञाराम के देहांत होने के बाद न तो अपीलांट का नाम दर्ज हुआ और न ही रेस्पो0 संख्या 5 अशोक कुमार उर्फ देवीलाल का नाम दर्ज हुआ, यह दोनो कथन गलत है । रेस्पो0 संख्या 5 ने धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के जरिये रेवेन्यु रेकर्ड मे देवीलाल पुत्र आज्ञाराम के स्थान पर अपना मूल व सही नाम अशोक कुमार पुत्र मगराज दर्ज करवाया । अपीलांट का यह कथन भी सही नही है कि रेस्पो0 संख्या 5 ने अपीलांट का नाम हटाकर अपना नाम रेवेन्यु रेकर्ड मे दर्ज करवा दिया जबकि अपीलांट तो उक्त भूमि का कभी खातेदार ही नही रहा और न ही रेवेन्यु रेकर्ड मे नाम दर्ज रहा है ।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी से जांच करवाकर तथा सरपंच के द्वारा जारी प्रमाण पत्र तथा गांव के मौजिज व्यक्तियो से पुछताछ करने के बाद यह सही पाया कि आज्ञाराम नाम दर्ज किया गया है, वह आज्ञाराम उर्फ मगराज है जो रेकर्ड के अनुसार सही है तथा मगराज उर्फ आज्ञाराम का देहांत होने पर ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया उसमे भी मगराज उर्फ आज्ञाराम का देहांत बताया है ।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि देवीलाल एवं फतेहलाल दोनो अलग–अलग व्यक्ति है क्योकि वर्ष 1973 मे उसी दिन दो रजिस्ट्रीयां फतेहलाल एवं देवीलाल के नाम से अलग–अलग होती है जो कि रजिस्ट्री से साबित है । अपीलांट ने देवीलाल उर्फ फतेहलाल के नाम से अपील पेश की है जिससे भी यह स्पष्ट ताईद होता है कि दोनो के नाम अलग–अलग रजिस्ट्रीया की गई है तथा दोनो नाम के व्यक्ति अलग–अलग है, इस बिन्दु को छुपाने के लिए अपीलांट ने दोनो नाम देवीलाल उर्फ फतेहलाल नाम की अपील पेश की है ।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 5 को उक्त भूमि वर्ष 1976 मे पारिवारिक आंशिक बंटवाडे से प्राप्त हुई थी तथा उसके बाद वर्ष 2013 मे रेस्पो0 संख्या 5 ने अपने नाम शुद्धिकरण प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया, जो नाम सही है । अपीलांट स्वयं ने वर्ष 1986 से पूर्व बंटवाडा होना माना है । वकील

रेस्पो0 का यह भी कथन है कि अपीलांट यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय से व्यथित है तो अपीलांट सिविल न्यायालय मे वाद दायर कर अपना हक निर्धारण करावे, राजस्व न्यायालय को ऐसे जटिल व विवादित बिन्दु तय करने का कोई क्षेत्राधिकार नही है, उतराधिकार एवं वारिस संबंधी देवीलाल पुत्र आईदान व फतेहलाल पुत्र आईदान दोनो ही नाम एक ही व्यक्ति के है इसलिए ऐसे जटिल बिन्दुओ का निर्धारण म्युटेशन अपील की सरसरी कार्यवाही के जरिये तय नही हो सकता है बल्कि ऐसे जटिल बिन्दुओ का निर्धारण तो केवल सिविल वाद के जरिये साक्ष्य एवं गवाहान के बयान आदि के आधार पर ही तय हो सकते है ।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 5 अशोक कुमार का नाम उक्त विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी) मे 38 वर्ष से चला आ रहा है तथा मौके पर कब्जा काश्त भी रेस्पो0 अशोक कुमार का ही चला आ रहा है ऐसे मे अपीलांट यदि उक्त भूमि पर हक अधिकार मानता है तो 38 वर्ष की लंबी समयावधि तक चुपचाप क्यो बेठा रहा तथा यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 5 का अपीलाधीन भूमि पर 12 वर्ष से अधिक से कब्जा काश्त रहा है इसलिए भी अपीलांट बेदखली का दावा भी नही ला सकता है तथा एडवर्स पजेशन के आधार पर भी रेस्पो0 संख्या 5 अपीलाधीन भूमि का कानूनन खातेदार हो चुका है इसलिए भी अपीलांट की अपील चलने योग्य नही होने से खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि अपीलांट स्वयं ने अपर जिला कलेक्टर प्रथम जोधपुर के न्यायालय मे निगरानी पेश की थी, उक्त निगरानी मे रेस्पो0 संख्या 5 अशोक कुमार को अप्रार्थी संख्या 2 पक्षकार बनाया है तथा अपनी निगरानी मे अशोक कुमार उर्फ देवीलाल पुत्र मगराज उर्फ आज्ञाराम का नाम उल्लेख किया है, जिससे अपीलांट स्वयं साक्ष्य से साबित कर रहा है कि अशोक कुमार का नाम देवीलाल भी है । अंत मे वकील रेस्पो0 संख्या 5 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–12–2013 को यथावत रखते हुए अपीलांट की अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–12–2013 का भी अध्ययन किया । अपील मे वर्णित ग्राम तेना पटवार मण्डल तेना के खेत खसरा नंबर 1126 रकबा 4.02 बीघा, खसरा नंबर 1137 रकबा 33.07 बीघा, खसरा नंबर 1138 रकबा 1.09 बीघा कुल 3 खसरान का 38.18 बीघा भूमि के खातेदारान बाबूसिह, दलपतसिह पि0 जोधसिह द्वारा उपरोक्त भूमि का रजिस्टर्ड बेचान चार पृथक–पृथक व्यक्तियो जिनमे क्रमशः राधेश्याम पुत्र श्रीराम, हरिकिशन पुत्र प्रेमराज, देवीलाल पुत्र आईदान एवं रामस्वरूप पुत्र मगराज कौम महाजन निवासी तैना को किया गया ।

प्रस्तुत प्रकरण मे दिनांक 29–12–1973 को देवीलाल पुत्र आईदान जाति महाजन द्वारा खरीदसुदा भूमि राजस्व अभिलेख मे देवीलाल पुत्र आईदान जाति माहेश्वरी के नाम से दर्ज होती रही परंतु बाद मे राजस्व रेकर्ड मे देवीलाल के पिता का नाम आईदान के

स्थान पर आज्ञाराम कैसे दर्ज हुआ जबकि देवीलाल पुत्र आईदान जीवित था ।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या 5 अशोक कुमार पुत्र स्व0 मगराज जाति महाजन की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का यह कथन करते हुए पेश किया गया कि देवीलाल पुत्र आज्ञाराम का नाम गलत दर्ज हो गया है जबकि आज्ञाराम उर्फ मगराज का देहांत दिनांक 19–1–2010 को हो गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी साक्ष्य सबूत या दस्तावेजी आधार के ही उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–12–2013 के द्वारा स्वीकार करते हुए अपीलाधीन भूमि अशोक कुमार पुत्र मघराज का नाम राजस्व रेकर्ड मे पुनःदर्ज करने का आदेश पारित कर दिया, जो किसी भी सूरत मे समर्थन योग्य नही माना जा सकता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को बहाल रखा जाना न्यायोचित नही है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध वर्तमान अपील देवीलाल उर्फ फतेहलाल पुत्र आईदान जाति माहेश्वरी द्वारा पेश की गई है ।

अपीलांट स्वयं को देवीलाल उर्फ फतेहलाल पुत्र आईदान होना बताते हुए यह अपील पेश की है जबकि फतेहलाल ही देवीलाल पुत्र आईदान हो, तथा आईदान ही आज्ञाराम हो, इन सभी तथ्यो को साबित करने बाबत कोई रेकर्ड या दस्तावेजी सबूत रेकर्ड पर उपलब्ध नही है । इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय ने आज्ञाराम एवं मघराज को एक नाम के व्यक्ति माने जाने संबधी कोई सबूत या रेकर्ड अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नही होते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अशोक कुमार पुत्र मघराज का नाम राजस्व रेकर्ड मे पुनःदर्ज करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, वह समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

ऐसे मे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–12–2013 को निरस्त किया जाता है तथा राजस्व रेकर्ड की स्थिति अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–12–2013 से पूर्व की यथावत रखी जाती है ।

प्रस्तुत प्रकरण मे पक्षकारान के नाम एवं वल्दियत संबंधी जटिल बिन्दुओ का निर्धारण धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र अथवा अपीलीय कार्यवाही के जरिये संभव नही है इसलिए दोनो ही पक्ष अपने अपने नाम एवं वल्दियत संबंधी विधिवत घोषणा सिविल न्यायालय या सक्षम स्तर से कराने हेतु स्वतंत्र है ।

निर्णय आज दिनांक 6–12–2017 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर